केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

दिनांक 16.11.2017

संचिका सं. CICOM/R/2017/01323

सेवा में,

श्री सुधीर कुमार पाण्डेय,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 28.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 03.11.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 175650) तथा दिनांक 09.11.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं 1 से 3	आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । उल्लेखनीय है कि आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई दस्तावेज/सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर देना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।
बिंदु सं. 4	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन करें ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल